सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 24, बुधवार, शाके 1943-दिसम्बर 15, 2021
Agrahayana 24, Wednesday , Saka 1943- December 15, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 09, 2021

संख्या प.4(9) कृषि/ग्रुप-2/2021 :-जैसा कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत विद्यमान कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी क्षेत्रों में विज्ञप्त कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु निजी गौण मण्डी प्रांगण घोषित करने का निर्णय लिया है। अतः अब राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न विवरण के अनुसार **जिला डूंगरपुर** में कृषि उपज मण्डी समितियों से संबंधित मण्डी क्षेत्र में प्रबंधित संरचना एवं अहाता की सीमाओं तक निजी गौण मण्डी प्रांगण स्थापित करने की घोषणा करती है:-

क्र.स	जिला	कृषि उपज मण्डी समिति	कृषि प्रसंस्करण इकाई		क्लिनिंग ग्रेडिंग/मूल्य सवर्धन इकाई		वेयर हाउस		साईलोज		कोल्ड स्टोरेज	
			नाम	पता	नाम	पता	नाम	पता	नाम	पता	नाम	पता
1.	डूँगरपुर	डूँगरपुर	मै. सहज एग्रो फुड इण्डस्ट्रीज	जैल के पास बांसवाड़ा रोड सागवाडा जिला डूँगरपुर	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील
			सोई इन्टरप्राईजेज	औद्योगिक क्षेत्र, बांसवाड़ा रोड सागवाडा जिला डूँगरपुर	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील
			मै. विश्वकर्मा पैकर्स	बांसवाड़ा रोड मु.पो भिलूड़ा तह.सागवाडा जिला डूँगरपुर	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील
			मै. बागेश्री डेयरी प्रोडक्ट प्रा. लि.	रीको औद्योगिक क्षेत्र, बिछिवाड़ा जिला	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील

				डूँगरपुर								
			मै. यस एग्रोटेक	मु पो. चुण्डावाड़ा तह. बिछिवाड़ा जिला डूँगरपुर	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील
			मै. श्री माँ आईस प्लान्ट	रीको औद्योगिक क्षेत्र, डूँगरपुर	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील
			मै. विश्वकर्मा टिम्बर मार्ट	गांधी आश्रम डूँगरपुर	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील
			मै. शक्ति टिम्बर	शास्त्री कॉलोनी डूँगरपुर	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील
			मै. शक्ति शॉ मिल	शास्त्री कॉलोनी डूँगरपुर	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील
			मै शारदा टिम्बर	शास्त्री कॉलोनी डूँगरपुर	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील
			मै शारदा शॉ मिल	शास्त्री कॉलोनी डूँगरपुर	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील	नील

राज्य सरकार घोषणा करती है कि उक्त निजी गौण मण्डी प्रांगणों का उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 एवं धारा 2 की उपधारा 1 के खण्ड 10 से परिभाषित मार्केट प्रोपर नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बृज गुप्ता,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।